

आवेदन पत्र को सम्बन्ध में जांच की गई। निम्नलिखित अनुसार
 11217 कांड के फुलचंड खानगी दुब्र खानत कांड जमाबंदी गणित
 2075-78 के फुला(1) कांड के फुलचंड खानगी दुब्र खानत कांड जमाबंदी गणित

क्रमांक राजस्व/2020/
 मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्तमानानुसार आवेदक
 का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अनिश्चयता की जाती है।
 दिनांक -
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

उरुस्त भूमि जाना उचित है
 7/12/21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक क्लर्क उदयपुरवाटी जिला झुझुं (राज.)
 - आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	107 (198)	207578	62,68	फुला(1)	फुलचंड खानगी

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवा
 दिनांक :- 7

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 2066
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदर

